3/2014

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/5/18	पेश होने पर वादपत्र श्री पी.के. को स्वीकार किया जाकर श्री आयोग को जवाब वादपत्र हेतु सम्मन किया गया लेकिन अभिलेख तक जवाब वादपत्र पेश नहीं किया। मूल राजस्व लोक अदालत की भावना से दुरभाग्यपूर्ण प्रकरण का निपटान किया जाना उचित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार बाह्यु ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें जाहिर किया है कि आयोग जहां निवास करते हैं वहाँ पर पहुँच मार्ग के लिए कोई राहा नहीं है तथा आवादी ग.नं. 180 रकबा 0.45 है में से 72 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ा है कुल 288 वर्गमीटर व ग.नं. 125/1 में 52 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 208 वर्गमीटर भूमि शामिल होते हुए प्रस्तावित की है। हमने पत्रावली के सेल्फ हलफनामे का अवलोकन किया आयोग की भूमि ग.नं. 125 के मार्ग जाने का कोई रास्ता नहीं है तथा आयोग रास्ते के अभाव में सुविधा से वंचित है। अतः आयोग की प्रार्थना पर भू-राजस्व धारा 251 क (1) राजस्व अभिलेख सेवा अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माच्योदेवाड़ के आवादी ग.नं. 180 रकबा 0.45 है. में दक्षिणी सीमा के सटाते पूर्व से पश्चिम 72 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कुल 288 वर्गमीटर आवादी भूमि पिता परता हि0/2 व धीता पुत्र परता हि0/2 कोम गुर्जर की में से तथा ग.नं. 125/1 में दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व से पश्चिम 52 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कुल 208 वर्गमीटर आवादी भूमि पिता 2 आसकरण गुर्जर की में से कुल रकबा 496 वर्गमीटर भूमि राजस्व रिकार्ड में ऊ.लु. शास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि का तहसीलदार बाह्यु वर्तमान प्रचलित DLCR से आकलन कर उसकी 1/3 राशि आयोग से जमा कर आयोग खातेदारों को मुआवजा की कार्यवाही करें। तहसीलदार बाह्यु को भूमि की मिलान नक्शा व मुआवजा करने तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करते हुए निपटाया जावे। पत्रावली केवल सुनवाई हेतु प्रस्तुत हो।	